कार्यालय:- नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद-गाजियाबाद

प्रमाणित किया जाता है कि निकाय के **55 वार्डों** में डोर—टू—डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य वर्तमान में शतप्रतिशत किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान में निकाय के समस्त वार्डों में से 44 (80 प्रतिशत) वार्डों में कूड़ा पृथक्कीकरण का कार्य किया जा रहा है।



अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अरिषद, लोनी (गाजियाबाद)









CERTIFICATE

Regional Centre for Urban and Environmental Studies, Lucknow hereby certifies that

District Name: - GHAZIABAD				
1)(B Name: -	LONI	TICB Code: -	800733	

has achieved all the required indicative components outlined under the Protocol for Star Rating of Garbage Free Cities and is being declared as

GARBAGE FREE CITY 2 STAR

Effective Date: 06.01.2019

Er. A.K. Gupta
Additional Director
RCVES, Lucknow

Anurag Yadav,

I.A.S. State Mission Director, Swachh Bharat Mission (Urban), Uttar Pradesh

स्वच्छता स समृद्धि की ओर-हमारा लोनी, गाजियाबाद

ः स्वच्छ भारतः

:: स्वच्छ उत्तर प्रदेश ::

स्वच्छ लोनी

कार्यालय: नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद गाजियाबाद

:: आवश्यक सूचना ::

नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्र के समस्त नागरिकों / व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि निकाय क्षेत्र के 55 वार्डों में " स्वच्छ भारत मिशन" के अन्तर्गत डोर—डू—डोर कूडा कलेक्शन हेतु प्रत्येक वार्ड में एक ट्रैक्टर घर जाकर कूडा उठाने का कार्य किया जा रहा है, तथा आप अपने घरों में दो डस्टविन रखें, जिसमें 1—नीले में सूखा कूडा 2—हरे में गीला कूडा एकत्रित करें तथा निकाय के ट्रैक्टर में कूडा डालें।

अतः इस सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस के अन्दर अपने—अपने घरों में डस्टबिन रखें तथा कूड़े को रोड आदि पर न डालें, यदि आप द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना भी वसूला जायेगा। सूचित हो।

> अधिशासी आपकारी / प्रशासक नगर्धभासिका पिरिवेद प्रतीनी नगर्गासिका विश्व तीनी गामियावाद

पत्रांक एवं दिनांक— तदैव।

प्रतिलिपि— सम्पादक, 1— दैनिक जागरण, गाजियाबाद 2— हिन्दुस्तान गाजियाबाद को इस आश्य से प्रेषित है कि आप उपरोक्त सूचना को अपने शीघ्र प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र में कम से कम स्थान पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करे।

/ अधिशासी अधिकारी / प्रशासक नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, लोनी(गाजियाबाद)

कृपया अवगत कराना है कि ड्राई वेस्ट प्रोसेसिंग हेतु नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत कोई भी प्लान्ट स्थापित नही है, इसके निस्तारण हेतु आर्यन ग्रुप द्वारा चार कबाड़ियों से अनुबन्ध किया गया है, जिसके अनुबन्ध की प्रति संलग्न है। कूड़े को पृथकीकरण कार्य के पश्चात जो कूड़ा बचता है, उसे डिपंग प्वाईन्ट (खता) पर डाला जाता है।

िक्षमार) निरीक्षक चारवत् लोनी

अवर अभियन्ता / नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन नगर पालिका परिषद, लोनी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 490492

इकरारनामा

प्रथम पक्ष-मेसर्स आर्यन ग्रुप ऑफ गार्ड सर्विसेस लोनी गाजियाबाद

द्वितीय पक्ष- रिजवान पुत्र मुनने

निवासी-76 जी ब्लॉक बुध नगर चॉद मस्जिद के पास, लोनी देहात गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201102

1-प्रथम पक्ष द्वारा सूखा कूडा प्राप्त कराऐगा जिसका समस्त विवरण प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों के पास उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

-प्रथम पक्ष द्वारा जो भी सूखा कूडा द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा उसे द्वितीय पक्ष द्वारा कांच प्लस्टिक आदि,) पृथक किया जायेगा।

दिंगर पक्ष द्वारा जितना भी सूखा कूड़ा (जैसे कांच प्लास्टिक आदि) विकय किया जाएगा उसका दस तेश्व प्रथम पक्ष को प्राप्त कराएगा।

अवशेष बचे हुए अपशिष्ट को प्रथम पक्ष द्वारा उसे फिर से लैण्डफिल साइट पर ले जाया जाएगा।

5 कूडे का पृथक्करण आबादी से दूर किया जायेगा।

6 किसी भी विवाद में सम्बन्धित तहसील का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

YUH YH



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ER 490489

इकरारनामा

प्रथम पक्ष—मेसर्स आर्यन ग्रुप ऑफ गार्ड सर्विसेस लोनी गाजियाबाद हितीय पक्ष— सुभाष साव पुत्र सुरेन्द्र साव

निवासी-समेयगढ न0-5 पटना बिहार -803306

1—प्रथम पक्ष द्वारा सूखा कूडा प्राप्त कराऐगा जिसका समस्त विवरण प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों के पास उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

2-प्रथम पक्ष द्वारा जो भी सूखा कूडा द्वितीय पक्ष को उपलब्ध कराया जाएगा उसे द्वितीय पक्ष द्वारा कांच प्लास्टिक आदि,) पृथक किया जायेगा।

हैं-द्वितीय पक्ष द्वारा जितना भी सूखा कूड़ा (जैसे कांच प्लास्टिक आदि) विकय किया जाएगा उसका दस प्रतिशत प्रथम पक्ष को प्राप्त कराएगा।

अवशेष बचे हुए अपशिष्ट को प्रथम पक्ष द्वारा उसे फिर से लैण्डफिल साइट पर ले जाया जाएगा।

कूडे का पृथक्करण आबादी से दूर किया जायेगा।

🌓 - किसी भी विवाद में सम्बन्धित तहसील का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

इस्ताक्षर प्रथम पक्ष

N CONTROL OF G TARD SERVICES

INDIA SINDIA BA BIBIUS

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

रुगाव साव